

**अनुदान संख्या 32 – प्रत्यक्ष कर**  
**GRANT No. 32 - DIRECT TAXES**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
		Total	Actual	Saving -
		grant	expenditure	
		(हजार रुपयों में)		
		(In thousands of rupees)		
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत-	Voted-	7733,39,00	7229,92,50	-503,46,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			428,86,72
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	332,00,00		
		332,03,00	173,14,37	-158,88,63
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			151,84,69

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"			
आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure			
मू.	O.	754006.00		
			711119.28	704934.37
पु.	R.	-42886.72		-6184.91

(I) "निर्देशन और प्रशासन" के अंतर्गत - बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(I) Under "Direction and Administration" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" - ₹8096.33 लाख की बचत (₹12395.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम विज्ञापन तथा प्रचार कार्यकलाप किए जाने, नई

(A) "Research, Statistics and Publication" - saving of ₹8096.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12395.00 lakhs) was due to less

टैक्स स्कीम लागू न किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(खा) “संगठन और प्रबंधन सेवाएं” – ₹14414.77 लाख की बचत (₹86278.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना पूरी न होने, कम दौरे किए जाने, आईटी संबंधी मदों की कम अधिप्राप्ति होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(गा) “आसूचना” – ₹1372.18 की बचत (₹10896.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, एलटीसी विशेष पैकेज दावों की कम प्राप्ति होने, कम दौरे किए जाने, बैठकों/सम्मेलनों का आयोजन कम होने और कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों/सेवाओं के पूरा न होने की वजह से हुई।

(II) “संग्रहण प्रभार – आयकर” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुई:-

(का) “आयुक्त तथा उनके कार्यालय” – ₹23125.72 लाख की बचत (₹644194.98 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, एलटीसी विशेष पैकेज, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व्यावसायिक सेवाओं के कम दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, आईटी संबंधी मदों की कम अधिप्राप्ति होने, प्रकाशन और विज्ञापन संबंधी कार्यकलाप कम होने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(खा) “आयकर तथा धन कर मामलों संबंधी समझौता आयोग” – ₹864.53 लाख की बचत (₹2990.72 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(गा) “प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के क्षेत्रीय लेखा कार्यालय” – ₹1184.23 लाख की बचत (₹9699.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

publication and advertising activities, no new tax scheme (s) being launched and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(B) “Organisation and Management Services” - saving of ₹14414.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹86278.00 lakhs) was due to non-completion of project owing to COVID-19 pandemic, less tours undertaken, less procurement of Information Technology related items and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Intelligence” - saving of ₹1372.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10896.50 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less receipt of leave travel concession special package claims, less tours undertaken, conduction of less meetings/conferences and non-completion of works/services owing to COVID-19 pandemic.

(II) Under “Collection Charges-Income Tax” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Commissioners and their Offices” - saving of ₹23125.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹644194.98 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less receipt of claims towards special leave travel concession package, medical reimbursement, professional services and tours undertaken, less procurement of Information Technology related items, less publication and advertising activities and economy measures.

(B) “Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases” - saving of ₹864.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2990.72 lakhs); and

(C) “Zonal Account Offices of Principal Chief Controller of Accounts” - saving of ₹1184.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9699.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें महंगाई भत्ते के स्थिरीकरण, कम दौरे किए जाने और कोविड-19 महामारी के कारण कार्यों/सेवाओं के पूरा न होने तथा किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) “अन्य व्यय – विभागीय कैंटीन” के अंतर्गत – ₹599.43 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण कैंटीन बंद रहने से कैंटीन संबंधी व्ययों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹347.45 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings under the above two heads were due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken and non-completion of works/services owing to COVID-19 pandemic and economy measures.

(III) Under “Other Expenditure - Departmental Canteens” - saving of ₹599.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards canteen related expenses owing to canteen being closed due to COVID-19 pandemic.

(IV) Under one head saving of ₹347.45 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

2. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मू.	O.	22384.00		
पू.	S.	2.00	11656.48	11395.28
पु.	R.	-10729.52		-261.20
मुख्य शीर्ष “4216” आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4216” Capital Outlay on Housing			
मू.	O.	10616.00		
पू.	S.	1.00	6244.89	5815.11
पु.	R.	-4372.11		-429.78

(I) मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – निर्माण – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और कार्यालय भवन निर्माण” के अंतर्गत – ₹13614.32 लाख की बचत (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹22385.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड-19 महामारी के कारण श्रमिकों के उपलब्ध न होने की वजह से निर्माण कार्यकलाप शुरू न होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “4216” – “सरकारी आवासीय भवन – आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन – आयकर विभाग के लिए भूमि का अधिग्रहण और आवासीय भवन का निर्माण” के अंतर्गत ₹4801.89 लाख की बचत (सितंबर, 2020 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10617.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद, निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने/उनको मूर्त रूप न दिए जाने तथा परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2623.60 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि फरवरी, 2021 में मुख्य शीर्ष “4059” – “कार्यालय भवन – तैयार आवासों का अधिग्रहण” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(I) Under Major Head “4059” - “Office Buildings - Constructions - Acquisition of Land and Construction of Office Building for Income Tax Department” - saving of ₹13614.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹22385.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020) was due to non-commencement of construction activity owing to non-availability of labour force due to COVID-19 pandemic.

(II) Under Major Head “4216” - “Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land and Construction of Residential Building for Income Tax Department” - saving of ₹4801.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10617.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in September, 2020) was due to non-finalization/non-fructification of proposals for purchase, construction works and non-completion of projects.

3. The above savings were partly (₹2623.60 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in February, 2021 under Major Head “4059” - “Office Buildings - Acquisition of Ready Built Accommodation”.